



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 857]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अप्रैल 7, 2016/चैत्र 18, 1938

No. 857]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2016/CHAITRA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2016

का.आ. 1351(अ).—जैवविविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उप-धारा (1) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उल्लिखित अधिनियम के प्रयोजन से 1 अक्टूबर, 2003 को और से, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण नामक एक निकाय स्थापित किया है, केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण में नियुक्त करती है, और इस प्रयोजनार्थ क्रम संख्या 16 से संबद्ध प्रविष्टियों को निम्नवत् प्रतिस्थापित करने के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. 389 (अ) दिनांक 17 फरवरी, 2010 को संशोधित करती है :-

(16) प्रो. उमेश राय,

निदेशक,

साउथ कैंम्पस, दिल्ली विश्वविद्यालय,

कमरा संख्या 106, प्राणि-विज्ञान विभाग,

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007

[फा. सं. जे. 22018/46/2003-सीएस-III]

डा. सुजाता अरोड़ा, सलाहकार

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 22 फरवरी, 2007 की का.आ. 262(अ), के द्वारा के प्रकाशित की गई थी तथा तत्पश्चात् दिनांक 17 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 389(अ), और दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3299(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2016

**S.O. 1351(E).**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (4) of Section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government has established a body called the National Biodiversity Authority, on and from the 1<sup>st</sup> day of October, 2003 for the purposes of the said Act. The Central Government appoints the following non-official member to the National Biodiversity Authority for a period of three years from the date of publication of the notification, and for that purpose amends the notification number S.O. 389(E) dated 17<sup>th</sup> February, 2010, to substitute the entries relating to serial number 16 as follows:—

- (16) Prof. Umesh Rai  
Director,  
South Campus, University of Delhi  
Room No. 106, Department of Zoology,  
University of Delhi, Delhi-110007

[F. No. J-22018/46/2003-CS-III ]

Dr. SUJATAARORA, Adviser

**Foot Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section -3, Sub-section (ii) vide S.O 262 (E) dated the 22<sup>nd</sup> February, 2007 and subsequent Notifications No. 389(E) dated 17<sup>th</sup> February, 2010 and Notification No. 3299 (E) dated 31<sup>st</sup> October, 2013.